

- | | | |
|--|--|-----------------------------------|
| (8) धारा- 63 के तीस रुपये।
अधीन कथन। | (8) धारा 63 के अधीन
कथन फर्म में
तब्दीलियों और
उसके विघटन हेतु। | एक सौ पचास
रुपये। |
| (9) धारा- 64 के तीस रुपये।
अधीन कथन। | (9) धारा 64 के अधीन
कथन भूलों में
परिशोधन के लिए। | एक सौ पचास
रुपये। |
| (10) धारा- 65 की दस रुपये
उपधारा-1 के
अधीन फर्म के
रजिस्टर का
निरीक्षण। | (10) धारा 66 की
उपधारा (1) के
अधीन फर्म के
रजिस्टर का
निरीक्षण। | एक सौ रुपये। |
| (11) धारा- 66 की एक फर्म से
उपधारा-2 के सम्बन्धित सभी
अधीन फर्म दस्तावेजों के
सम्बन्धी दस्तावेजों निरीक्षण के लिए
का निरीक्षण। | (11) धारा 66 की
उपधारा (2) के
अधीन फर्म सम्बन्धी
दस्तावेजों का
निरीक्षण। | दो सौ रुपये। |
| (12) फर्म के रजिस्टर प्रति सौ शब्द या
से प्रतियां। | (12). फर्म के रजिस्टर
उसके भाग के
लिए चार रुपये। | प्रति पृष्ठ के लिये
साठ रुपये। |

आङ्ग से,
राधा रत्नौ,
प्रमुख सचिव।